UPSP010037882026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–12, सहारनपुर।

उपस्थित– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी.1704)

सत्र वाद संख्या–594/2026

राज्य ..... **अभियोजन।**

बनाम

गुलफाम उर्फ गढ़वाली पुत्र मुन्ना निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर ।

.....**अभियुक्त।**

मु0अ0सं0– 129/2025
धारा– 8/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना – मिर्जापुर, जिला– सहारनपुर।

निर्णय

1. पुलिस थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर द्वारा मु0अ0सं0–129/2025 में अभियुक्त **गुलफाम उर्फ गढ़वाली** व सहअभियुक्त जावेद के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–8/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में व सहअभियुक्त गुलजार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में न्यायालय में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

2. तहरीर/फर्द बरामदगी के आधार पर अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.25 को में उ0नि0 चरनपाल सिह मय है0 628 नवीन कुमार कास्टेवल क0 186 विमल कुमार, मय का0 2275 रूपेश कुमार मय निजी वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 24 सांय 9:20 बजे रवाना होकर देख रेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन तलाश वांछित इत्यादि में मामूर होकर थाना हाजा से रायपुर पैठ पर पहुंचे तो मुखबीर खास मिला जिसने बताया कि एक व्यक्ति रायपुर पैठ मे नहर की तरफ लोगो को चरस बेच रहा है जल्दी की जाए तो वह पकडा जा सकता है। मुखबीर की बात पर विश्वास कर मुखबीर को साथ लेकर छुपते छुपाते मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे तो मुखबीर ने दो पिकअप के बीच बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुये बताया कि साहब यही वह व्यक्ति है जो चरस बेच रहा है यह कहकर मुखबीर चला गया तब मैंने है0का0 नवीन व का0 विमल को पोछे से उस व्यक्ति को घेरने हेतु पकडने के लिए कहा तथा का० रूपेश को वीडीयो बनाने की हिदायत दे कर उस व्यक्ति को एकदम दबिश देकर समय 12:30 बजे पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम **गुलजार** पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम रायपुर बताया और अपनी गलती की माफी मागते हुये कहा कि साहब मेरे पास चरस है। जिसे मैं **जावेद** पुत्र मुन्ना, **फुरखान** पुत्र मीदा व **गुलफान पुत्र गढवाली** निवासी रायपुर से खरीदकर लाया था। साहब मे खरीदी हुई चरस को यहा रायपुर की पैठ मे आये हुये लोगो को कुछ मुनाफा लेकर बेचता हूँ। जिससे मेरे परिवार का गुजारा चलता है। पकडे गये उस व्यक्ति को अवगत कराया गया कि तुम्हारे पास अवैध चरस होना बताया है इसीलिए तुम्हे धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत आधिकार प्राप्त है कि तुम अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हो इस पर पकडे गये व्यक्ति ने कहा कि साहब जब आपने मुझे पकड़ ही लिया है तो आप ही मेरी जामा तलाशी ले सकते हो साहब मैं अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रतित अधिकारी को नहीं देना चाहता, जिस पर मुझ उनि द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के सीयूजी नम्बर 9454401607 पर फोन किया गया तो

क्षेत्राधिकारी महोदय से संपर्क नही हो पाया पकडे गये उस व्यक्ति से सहमति प्राप्त कर मुझ उ0नि0 के द्वारा पकडे गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो जामा तलाशी मे पकडे गये व्यक्ति गुलजार पुत्र मुन्ना की लोवर की जेब से पारदर्शी पीले रंग की पालोथिन में काले रंग का पदार्थ बरामद हुआ। पोलीथिन में रखे पदार्थ को खोलकर सूघा व हमराहीयान को सूंघाया तो इसमे **चरस** की गन्ध आ रही है, पकडे गये व्यक्ति द्वारा भी इस पदार्थ को चरस होना बताया। पकडे गये उस व्यक्ति से बरामद अवैध चरस को विवेचना किट से इलेक्ट्रानिक कांटा निकालकर मुझ उनि द्वारा तौला गया तो उस व्यक्ति गुलजार से बरामद चरस का कुल वजन **199 ग्राम** था। पकडे गये उस व्यक्ति से बरामद चरस को इसी पोलीथीन में रखकर सफेद कपडे मे रखकर सीकर–सिलकर सील सर्वे मोहर किया गया व उनके नमूना मोहर तैयार किये गये तथा परीक्षण हेतु नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष विवेचक के द्वारा नियमानुसार लिया जायेगा। पकडे अभियुक्त गुलजार से चरस के बारे में पुछा गया गया तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह चरस मैं जावेद पुत्र मुन्ना, फुरखान पुत्र मीदा व गुलफान पुत्र गढवाली नि० रायपुर से खरीदकर लाया था। पकडे गये अभियुक्त का यह जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुँचता है तथा अभियुक्तगण जावेद पुत्र मुन्ना, फुरकान पुत्र मीदा व गुलफान पुत्र गढवाली नि० रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर का जुर्म धारा 8/29 की हद को पहुंचता है। पकडे गये व्यक्ति को उनके जुर्म से अवगत कराकर कारण गिरफ्तारी बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दौराने गिरफ्तारी जनता के गवाह फराहम करने का प्रय स किया गया किन्तु भलाई बराई की वजह से कोई भी व्यक्ति गवाही गवाहान हेतु तैयार नही हुये और बिना नाम पता बताये चले गये। मौके पर ही मुझ उ०नि० द्वारा गिरफ्तारी मीमो व तौल पर्ची तैयार किये गये दौराने बरामदगी मौके पर ही अभियुक्त का मिलना अंर्तगत धारा 105 बीएनएसएस का पालन मुझ उ०नि० द्वारा कराया कराया गया है। फर्द मौके पर मुझ उ०नि० द्वारा अपने निजी लेपटोप में तैयार कर फर्द की साफ्टकापी पैनड्राईव में सुरक्षित कर कास्टेवल रूपेश को देकर फर्द का प्रिंट आउट दो प्रतियो में लाने हेतु थाना हाजा भेजा गया दोनो अभियुक्तो की गिरफ्तारी की सूचना द्वारा उचित माध्यम थाने पहुँचकर इसके परिजनो को दी जायेगी। वापस आने पर हमराही गणो को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान हेतू हस्ताक्षर कराये गये।

3. वादी मुकदमा उप निरीक्षक चरनपाल सिंह की उक्त फर्द बरामदगी/तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण गुलजार, जावेद, फुरकान व गुलफान के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–129/2025 अन्तर्गत धारा–8/20/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर के अन्तर्गत पंजीकृत कर चिक किता की गयी तथा विवेचना उप निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह रावल को सुपुर्द की गयी।

4. विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली व सहअभियुक्त जावेद के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–8/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में व सहअभियुक्त गुलजार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण जिला कारागार से न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। अभियुक्तगण को धारा– 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

6. मामले में अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली व सहअभियुक्त जावेद के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–8/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में व सहअभियुक्त गुलजार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में आरोप दिनाँक 18.10.2025 को विरचित किये गये। जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की याचना की।

7. दौरान विचारण अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली की ओर से जुर्म इकबाल के आधार पर वाद निस्तारित कराने हेतु अपनी पत्रावली सहअभियुक्तगण गुलजार व जावेद की पत्रावली से अलग करने की याचना की गयी, जिसे न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.03.2026 के माध्यम से अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली की पत्रावली सहअभियुक्तगण गुलजार व जावेद की पत्रावली से अलग कर सत्र वाद संख्या–594/2026 के रूप में दर्ज किया गया। **अतः इस निर्णय के द्वारा केवल अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली से सम्बन्धित सत्र वाद संख्या–594/2026 का निस्तारण किया जा रहा है।**

8. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न साक्षी को परीक्षित कराया गया हैः–

अभियोजन साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की भूमिका**
1	उ0नि0 चरनपाल सिंह	वादी मुकदमा

अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

9. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये गये हैः–

प्रदर्श सं०	**प्रदर्श का विवरण**	**साक्षी, जिसके द्वारा साबित किया गया**
प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी	उ0नि0 चरनपाल सिंह, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–2	सहमति पत्र	उ0नि0 चरनपाल सिंह, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–3	गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र	उ0नि0 चरनपाल सिंह, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–4	गिरफ्तारी आधार प्रपत्र	उ0नि0 चरनपाल सिंह, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–5	तौल पर्ची	उ0नि0 चरनपाल सिंह, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।
प्रदर्श क–7	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	
प्रदर्श क–8	नक्शा नजरी	

10. मेरे द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

11. अभियुक्त पर आरोप है कि दिनाँक 08.08.2025 को समय 12:30 बजे स्थान रायपुर पैठ के पास, अंतर्गत थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में सहअभियुक्त गुलजार को पुलिस थाना मिर्जापुर द्वारा संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा जामातलाशी में सहअभियुक्त गुलजार के कब्जे से **199 ग्राम** अवैध **चरस** बरामद हुई, जिसे अपने पास रखने का सहअभियुक्त गुलजार के पास कोई वैधानिक लाईसेन्स नहीं था। गिरफ्तारी के दौरान सहअभियुक्त गुलजार द्वारा बताया गया कि **उक्त बरामद चरस वह अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली** व सहअभियुक्तगण जावेद व फुरकान **से खरीदकर लाया था।**

12. उक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी0डब्ल्यू0–1 उ0नि0 चरनपाल सिंह** को परीक्षित कराया गया। उक्त साक्षी द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया गया है कि दिनांक 08.08.25 को मैं, थाना मिर्जापुर पर बतौर उ०नि० के पद पर तैनात था। उस दिन मै, मय है0 628 नवीन कुमार कास्टेवल कॉ० 186 विमल कुमार, मय का0 2275 रूपेश कुमार मय निजी वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट न0 24 समय 9.20 बजे रवाना होकर देख रेख शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन तलाश वांछित इत्यादि में मामूर होकर थाना हाजा से रायपुर पैठ पर पहुंचे तो मुखवीर खास मिला जिसने बताया कि एक

व्यक्ति रायपुर पैठ मे नहर की तरफ लोगो को चरस बेच रहा है जल्दी की जाए तो वह पकडा जा सकता है। मुखवीर की बात पर विश्वास कर मुखवीर को साथ लेकर छुपते–छुपाते मुखवीर के बताये स्थान पर पहुंचे तो मुखबीर ने दो पिकअप के बीच बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुये बताया कि साहब यही वह व्यक्ति है जो चरस बेच रहा है यह कहकर मुखबीर चला गया तब मेने है०का० नवीन व का० विमल को पीछे से उस व्यक्ति को घेरने हेतु पकडने के लिए कहा तथा का० रूपेश को वीडीयो बनाने की हिदायत दे कर उस व्यक्ति को एकदम दबिश देकर समय 12.30 बजे पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम गुलजार पुत्र मुन्ना नि० ग्राम रायपुर बताया और अपनी गलती की माफी मागते हुये कहा कि साहब मेरे पास चरस है। जिसे मे जावेद पुत्र मुन्ना, फुरखान पुत्र मीदा व गुलफान पुत्र गढवाली नि० रायपुर से खरीदकर लाया था। साहब मे खरीदी हुई चरस को यहा रायपुर की पैठ मे आये हुये लोगो को कुछ मुनाफा लेकर बेचता हूँ। जिससे मेरे परिवार का गुजारा चलता है। पकडे गये उस व्यक्ति को अवगत कराया गया कि तुम्हारे पास अवैध चरस होना बताया है इसीलिए तुम्हे धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है कि तुम अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हो इस पर पकडे गये व्यक्ति ने कहा कि साहब जब आपने मुझे पकड ही लिया है तो आप ही मेरी जामा तलाशी ले सकते हो साहब मैं अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी को नही देना चाहता, जिस पर मेरे द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के सीयूजी नम्बर 9454401607 पर फोन किया गया तो क्षेत्राधिकारी महोदय से संपर्क नही हो पाया पकडे गये उस व्यक्ति से सहमति प्राप्त कर मेरे द्वारा पकडे गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो जामा तलाशी मे पकडे गये व्यक्ति गुलजार पुत्र मुन्ना की लोवर की जेब से पारदर्शी पीले रंग की पालोथिन में काले रंग का पदार्थ बरामद हुआ। पोलीथिन में रखे पदार्थ को खोलकर सूँघा व हमराहीयान को सूंघाया तो इसमे चरस की गन्ध आ रही है, पकडे गये व्यक्ति द्वारा भी इस पदार्थ को चरस होना बताया। पकडे गये उस व्यक्ति से बरामद अवैध चरस को विवेचना किट से इलेक्ट्रानिक कांटा निकालकर मेरे द्वारा तौला गया तो उस व्यक्ति गुलजार से बरामद चरस का कुल वजन 199 ग्राम था। पकडे गये उस व्यक्ति से बरामद चरस को इसी पोलीथीन में रखकर सफेद कपडे मे रखकर सीकर–सिलकर सील सर्वे मोहर किया गया व उनके नमूना मोहर तैयार किये गये तथा परीक्षण हेतु नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष विवेचक के द्वारा नियमानुसार लिया जायेगा। पकडे अभियुक्त गुलजार से चरस के बारे में पुछा गया गया तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह चरस मैं जावेद पुत्र मुन्ना, फुरखान पुत्र मीदा व गुलफान पुत्र गढवाली नि० रायपुर से खरीदकर लाया था। पकडे गये अभियुक्त का यह जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुँचता है तथा अभियुक्तगण जावेद पुत्र मुन्ना, फुरकान पुत्र मीदा व गुलफान पुत्र गढवाली नि० रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर का जुर्म धारा 8/29 की हद को पहुंचता है। पकडे गये व्यक्ति को उनके जुर्म से अवगत कराकर कारण गिरफ्तारी बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दौराने गिरफ्तारी जनता के गवाह फराहम करने का प्रयास किया गया किन्तु भलाई बराई की वजह से कोई भी व्यक्ति गवाही गवाहान हेतु तैयार नही हुये और बिना नाम पता बताये चले गये। मौके पर ही मेरे द्वारा गिरफ्तारी मीमो व तौल पर्ची तैयार किये गये दौराने बरामदगी मौके पर ही अभियुक्त का मिलना अंर्तगत धारा 105 बीएनएसएस का पालन मेरे द्वारा कराया कराया गया है। फर्द मौके पर मेरे द्वारा अपने निजी लेपटोप में तैयार कर फर्द की साफ्टकापी पैनड्राईव में सुरक्षित कर कास्टेवल रूपेश को देकर फर्द का प्रिंट आउट दो प्रतियो में लाने हेतु थाना हाजा भेजा गया दोनो अभियुक्तो की गिरफ्तारी की सूचना द्वारा उचित माध्यम थाने पहुँचकर अभियुक्त की बहन आफरीन को उसके मोबाइल नम्बर पर दी गयी। वापस आने पर हमराही गणो को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान हेतु हस्ताक्षर कराये गये। माल मुलजिम को थाने ले जाकर दाखिल किया गया व मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाने जाकर अपने उच्चाधिकारी द्वारा घ

ाटना से अवगत कराया गया। मेरे द्वारा विवेचक को घटनास्थल का निरीक्षण कराकर नक्शा नजरी तैयार करायी गयी। घटना के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा मेरे बयान अंकित किये गये। फर्द बरामदगी, धारा 50 एनडीपीएस एक्ट सहमति पत्र, गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र, आधार गिरफ्तारी प्रपत्र, तौल पर्ची, मेरे द्वारा मौके पर तैयार किये गये जो अभियुक्त गुलजार से सम्बन्धित है। जिसको मेरे द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त गुलजार द्वारा बताया गया कि यह चरस मैं जावेद पुत्र मुन्ना, फुरखान पुत्र मीदा व गुलफान पुत्र गढवाली नि० रायपुर से खरीदकर लाया था। साहब मैं खरीदी हुयी चरस को रायपुर की पैठ में आये हुये लोगों को बेचकर मुनाफा कमाता हूँ। पत्रावली में शामिल असल फर्द बरामदगी की छायाप्रति लैपटाप द्वारा तैयार मेरे सामने है जिस पर मेरे, हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त गुलजार के हस्ताक्षर मौजूद है शिनाख्त करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पत्रावली में शामिल धारा 50 एनडीपीएस प्रपत्र की छायाप्रति मूल रुप से मेरे सामने है जो मेरे द्वारा तैयार मेरे हस्तलेख में है जिस पर मेरे, हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त गुलजार के हस्ताक्षर मौजूद है शिनाख्त करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। पत्रावली में शामिल गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र की छायाप्रति मूल रुप से मेरे सामने है जो मेरे द्वारा तैयार मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे, हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त गुलजार के हस्ताक्षर मौजूद है शिनाख्त करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पत्रावली में शामिल गिरफ्तारी आधार प्रपत्र की छायाप्रति मूल रुप से मेरे सामने है जो मेरे द्वारा तैयार मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे, हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त गुलजार के हस्ताक्षर मौजूद है शिनाख्त करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। पत्रावली में शामिल असल तौल पर्ची की छायाप्रति मूल रुप से तैयार मेरे सामने है जो मेरे द्वारा तैयार मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे, हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्त गुलजार के हस्ताक्षर मौजूद है शिनाख्त करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।

13. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनाँक 08.06.2026 को अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली ने सहअभियुक्त गुलजार द्वारा उससे चरस खरीदने के आरोप को सही बताया गया। उसने बिना किसी भय या दबाव के स्वेच्छा अपना जुर्म स्वीकार किया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 उ0नि0 चरनपाल सिंह के बयानों को सही बताया।

14. अभियुक्त का बयान अं0धारा–313 दं0प्र0सं0 दर्ज करने के उपरान्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों आरोप पत्र, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व नक्शा नजरी की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7** व **प्रदर्श क–8** डाला गया।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि दिनाँक 08.08.2025 को समय 12:30 बजे स्थान रायपुर पैठ के पास, अंतर्गत थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर में सहअभियुक्त गुलजार को पुलिस थाना मिर्जापुर द्वारा संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा जामातलाशी में सहअभियुक्त गुलजार के कब्जे से 199 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई, जिसे अपने पास रखने का सहअभियुक्त गुलजार के पास कोई वैधानिक लाईसेन्स नहीं था। गिरफ्तारी के दौरान सहअभियुक्त गुलजार द्वारा बताया गया कि उक्त बरामद चरस वह अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली व सहअभियुक्तगण जावेद व फुरकान से खरीदकर लाया था। उक्त के आधार पर मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया। उक्त कथानक को साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 द्वारा अपने सशपथ बयानों से समर्थित किया गया है तथा बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप पत्र, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व नक्शा नजरी की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई ऐसा तर्क/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत हो।

16. इस प्रकार अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाया गया आरोप संदेह से परे साबित किया गया है। जिस कारण अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

17. अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा– 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त जिला कारागार से उपस्थित है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश बाद पुनः पेश हो।

दिनाँक – 08.07.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)
/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर। **(जे.ओ. कोड– यू.पी. 1704)**

पुनश्चः–

18. पत्रावली भोजनावकाश पश्चात् पेश हुई। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना।

19. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) द्वारा कहा गया कि अभियुक्त पर आरोप सिद्ध हो चुका है। अतः अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

20. अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली की ओर से तर्क दिया गया है कि वह अत्यंत गरीब है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वह दिनॉक 05.09.2025 से वर्तमान तक लगातार जिला कारागार में निरूद्ध है, सहअभियुक्त गुलजार ने 199 ग्राम चरस को अभियुक्त गुलफाम उर्फ गढ़वाली व सहअभियुक्तगण जावेद व फुरकान से खरीदना बताया है। इस प्रकार यह मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से बहुत कम हैं। वह आईन्दा कोई अपराध नहीं करेगा। उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

21. उक्त परिस्थितियों एवं प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

22. अभियुक्त **गुलफाम उर्फ गढ़वाली** को सत्र वाद संख्या–594/2026, राज्य बनाम गुलफाम उर्फ गढ़वाली, सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या– 129/2025 अन्तर्गत धारा–8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर के प्रकरण में **10 माह** के कठोर कारावास एवं 5,000/– रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माने की धनराशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त 07 दिन के कारावास की अतिरिक्त सजा को भोगेगा।

23. पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाती है।

24. अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार सहारनपुर प्रेषित किया जाये तथा अभियुक्त को अविलम्ब निर्णय की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

25. माल मुकदमा बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

26. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक – 08.07.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)
/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर। **(जे.ओ. कोड– यू.पी. 1704)**

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनाँक – 08.07.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)
/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर। **(जे.ओ. कोड– यू.पी. 1704)**

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.08 17:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur